

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,  
सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित

विषय:- राज्य के डायट्स एवं एस0सी0ई0आर0टी0 में रिक्त पदों पर पदस्थापना के संबंध में।  
देहरादून: दिनांक 15 अक्टूबर, 2018


महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक: SCERT/3242/VIII-I/शि0शि0पदस्थापना/2017-18 दिनांक 05 मार्च, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम-राज्य के डायट्स एवं एस0सी0ई0आर0टी0 के लगभग 119 रिक्त पदों पर पदस्थापना एवं जो शिक्षक अर्हता नहीं रखते हैं उनके स्थान पर योग्यताधारित शिक्षकों से पदों को भरने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तथ्यों के दृष्टिगत राज्य के डायट्स एवं एस0सी0ई0आर0टी0 में रिक्त पदों पर पदस्थापना की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

- एस0सी0ई0आर0टी0 में सहायक निदेशक व प्रवक्ता के रिक्त पदों पर पदस्थापना।
- डायट्स में वरिष्ठ प्रवक्ता, प्रवक्ता, सांख्यिकीकार एवं तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर पदस्थापना।
- डायट्स में "शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य का शिक्षण" विषय के रिक्त पदों को उक्त विषय के विद्यालयी शिक्षा के राजकीय विद्यालयों में एल0टी0 स्तर (ग्रेड वेतन 4600 / -) पर कार्यरत शिक्षकों की पदस्थापना।
- डायट्स में "कला शिक्षण" विषय के रिक्त पदों को उक्त विषय के विद्यालयी शिक्षा के राजकीय विद्यालयों में एल0टी0 स्तर (ग्रेड वेतन 4600 / -) पर कार्यरत शिक्षकों की पदस्थापना।
- एक डायट से दूसरे डायट में स्थानांतरण एवं पदस्थापना हेतु अपनाई जाने वाली श्रेष्ठता आधारित प्रक्रिया के आधार पर लोक सेवकों के स्थानांतरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों के तहत स्थानांतरण।
- एस0सी0आर0टी0 एवं डायट में निर्धारित अर्हता न रखने वाले प्रवक्ताओं के स्थान पर अर्हताधारियों की पदस्थापना।

भवदीया,

  
(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)  
सचिव।